रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 1974/श्रावण 14, 1896
No. 186] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 1974/SRAVANA 14, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library
Govt of India

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th August 1974

SUBJECT.—*Import of capital goods/heavy electrical plant—condition on import licence.*

No. 110-ITC(PN)/74.—Attention is invited to paragraph 134(1) of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1974-75 in terms of which holders of CG/HEP licences are required to forward half yearly returns in a prescribed proforma to the Director of Statistics, Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, with a copy to the Foreign Exchange Section of the Ministry of Industrial Development, indicating the progress in the utilisation of such licences.

2. On a review of the position, it has been decided that the licence holders need not send a copy of the aforesaid statement to the Foreign Exchange Section of the Ministry of Industrial Development. The licence holders should send the required Returns only to the Director of Statistics, Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi in the prescribed form and manner. The condition applicable to C.G./HEP licences as indicated in the sub-paragraph 134(1) of the aforesaid Hand Book may be deemed to have been amended accordingly.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1974

विषय:—पूंजीगत /भारी विद्युतीय संयंत्र का आयात—आयात लाइसेंस पर शर्त ।

संख्या 110-आई० टी० सी० (पी० एम०)/74.—आयात व्यापार नियंत्रण हैंडबुक क्रियाविधि, 1974–75 की कंडिका 134 (1) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार पूंजीगत/भारी विद्युतीय संयंत्र लाइसेंसधारकों को इस प्रकार के लाइसेंसों के उपयोग में हुई प्रगति का संकेत करते हुए एक निर्धारित प्रपत्र में अर्धवार्षिक विवरणी सांख्यिकी निदेशक, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली को भेजना आवश्यक है और इसकी एक प्रति औद्योगिक विकास मंत्रालय के विदेशी मुद्रा विनिमय अनुभाग को भी भेजना आवश्यक है ।

2 स्थिति की पुनरीक्षा करने पर, यह निश्चय किया गया है कि लाइसेंसधारियों को उपर्युक्त विवरण की प्रति विदेशी मुद्रा विनिमय अनुभाग, औद्योगिक विकास मंत्रालय को भजने की जरूरत नहीं है । लाइसेंसधारी को चाहिए कि वे अपेक्षित विवरणी को विहित विधि के साथ केवल सांख्यिकी निदेशक, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली को ही भेजें । उपर्युक्त हैंडबुक की उप-कंडिका 134(1) में तथा संकेतित पूंजीगत/भारी विद्युतीय संयंत्र लाइसेंसों के सम्बन्ध में लागू होने वाली शर्त को तदनुसार, संशोधित किया गया समझा जाए ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974